

प्रेस नोट दिनांक- 03.11.2020

(1). यातायात माह के परिपेक्ष्य में दिनांक 02.11.2020 को रात्रि में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा कर्वी शहर के बस स्टैण्ड पर यातायात पुलिस एवं थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चैकिंग करवायी गयी। इस वाहन चैकिंग में महोदय द्वारा तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट, ओवर स्पीड एवं बिना सीटबेल्ट की चैकिंग करवा कर उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया गया। इस दौरान आने जाने वाले लोगों को हेलमेट अवश्य पहने, सीट बेल्ट अवश्य लगाये, ओवर स्पीड से न चलें, मास्क लगा कर रखने हेतु जागरूक किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अरुण कुमार पाठक, यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव तथा अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). आज दिनांक-03.11.2020 को श्री शेषमणि पाण्डेय जिलाधिकारी चित्रकूट एवं श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में तहसील मानिकपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके शीघ्र एवं निष्पक्ष निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये गये। भूमि-विवाद के मामलों में राजस्व टीम के साथ निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में श्री अमित आसेरी मुख्यविकासाधिकारी चित्रकूट, उपजिलाधिकारी मानिकपुर, श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ, श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर, श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी, श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा, श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी पीआरओ एवं राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रोशन सोनकर पुत्र बन्जारा निवासी हनुमान जी मोहल्ला थान राजापुर चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना राजापुर
2. आरक्षी अशोक बाबू

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा व पैरोकार आरक्षी धनेश कुमार द्विवेदी द्वारा कड़ी मेहनत कर मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिला अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 02.11.2020 को श्रीमती निहारिका चौहान विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम/अपर सत्र न्यायधीश पंचम द्वारा थाना रैपुरा के मु0अ0सं0 116/2016 धारा 392/412 भादवि0 व 14 डीएए एक्ट में प्रकाश में आये अभियुक्त बबलू सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट व अमित उर्फ राजू रैक्वार पुत्र रामदीन निवासी मुसीवा थाना कमासिन जनपद बांदा को 05-05 वर्ष के कारावास से एवं 30000-30000 रूपये के अर्थदण्ड से व अदा न करने की दशा में 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.08.2016 को रात्रि में 09 बजे श्री राजनारायण वर्मा पुत्र मोतीलाल वर्मा निवासी भदेवरा थाना राजापुर से साथ उपरोक्त पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवकों ने 28000 रुपये व एक सैमसंग मोबाइल छीन लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 116/2016 धारा 392/412 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना से उपरोक्त अभियुक्त बबलू सिंह एवं अमित उर्फ राजूरैकवार का नाम प्रकाश में आया था।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री के.के. मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नत्थू साहू पुत्र स्व0 हीरालाल साहू निवासी महावीर नगर कस्बा व थाना मानिकपुर चित्रकूट को 300 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 144/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

300 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव थाना मानिकपुर
2. आरक्षी रामजी साहू
3. आरक्षी धर्मराज यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावाही के क्रम में प्रभारी चौकी सरैया उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राममूरत उर्फ छोटू पुत्र अत्रिमुनि निवासी अहिरनपुरवा मजरा हनुआ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 143/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी चौकी सरैया उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार
2. मुख्य आरक्षी सचिन कुमार
3. आरक्षी रोहित कुमार
4. आरक्षी राघवेन्द्र यादव

(7). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक-03.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा धुस मैदान कर्वी, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा खमहरिया एवं ग्राम झोपड़िया में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा राजकीय इण्टर कॉलेज बरगढ़ में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनन्दी माता मंदिर परिसर में एवं अन्य थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा ग्रामों, बाजारों, बस स्टैंड, प्रमुख चौराहों, में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को वूमन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया। एण्टी रोमियो टीमों द्वारा आवारा रूप से घूम रहे संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की गयी तथा चेककर हिदायत दी गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(8). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में यातायात निरीक्षक श्री घनश्याम पाण्डेय एवं यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु ट्राफिक चौराहा कर्वी, मण्डी गेट कर्वी, लुढ़वारा मोड़ में वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट. ओवर स्पीड एवं बिना सीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 65 वाहनों का 63000 रूपये ई-पेन्डिंग चालान किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को पम्पलेट्स के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी